

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.49
TO BE ANSWERED ON 21.07.2022

FAKE AGENTS SENDING INDIANS ABROAD

*49. SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR:

Will the Minister of **EXTERNAL AFFAIRS** be pleased to state:

- (a) whether Government proposes to formulate any scheme to save the youth aspiring for a job abroad and falling prey to cheating or a conspiracy and if so, the details thereof;
- (b) the details of the States from where maximum number of youth travel abroad for jobs, country-wise and State-wise; and
- (c) whether Government proposes to enact any legislation against such fake agents/agencies working in the country who mislead youth and if so, the details thereof?

ANSWER
THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS
(DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *49 REGARDING “FAKE AGENTS SENDING INDIANS ABROAD” TO BE ANSWERED ON 21.07.2022

(a) Ministry has been making constant efforts to educate migrant youths about the perils of illegal channels. Following the implementation of the e-Migrate system in 2015, and with the welfare of aspiring emigrant youths in mind, ECR emigrants are recommended to seek overseas employment exclusively through legal channels, such as the e-Migrate portal.

Given that, this Ministry has also launched the '*Surakshit Jaaye Prasikshit Jaaye*' (*Go Safe, Go Trained*) campaign in 2018 to raise awareness and facilitate safe and legal migration. This motto has earlier been widely publicized through awareness generation workshops and Pre-Departure Orientation & Training (PDOT) imparted to the prospective migrants since its launch in March 2017. Due to COVID19 pandemic, online module of PDOT was launched in April 2021. The program is presently being popularized through 32 centers spread across the country. The goal is that well-informed migrant youths will be able to seamlessly integrate and have a safe and productive stay abroad.

MEA have an important role in the regulation of the Emigration process of Indian workers going abroad for employment, and ensuring their well-being and welfare. Many semi-skilled and less-skilled emigrant youths in the 'blue collar' category are required to get Emigration Clearance (EC) at 13 Protector of Emigrants offices across the country as a safety measure before proceeding for overseas employment. To expand the PoE office set up, Ministry approved establishment of PoE offices in Patna, Bengaluru and Guwahati in 2019 which are fully functional. Setting up new PoE offices in Ranchi, Tripura, Bhubaneswar and Ahmadabad are underway.

To promote legal migration, Ministry has taken several initiatives such as Pravasi Bhartiya Bima Yojna (PBBY), and revising the Indian Community Welfare Fund (ICWF) expenditure guidelines etc. for safety and welfare of migrant workers. PBBY was launched in 2017 to provide an insurance cover of Rs. 10 Lakhs in case of accidental death or permanent disability and other benefits at a nominal insurance premium of Rs 275 (for two years) and Rs 375 (for 3 years).

Ministry has also been working on various activities such as aligning e-Migrate portals with other Ministries in India as well as Governments of host countries for skilling and mapping overseas opportunities and promoting legal migration to boost the Indian workforce's sustainable employment ecosystem and entrepreneurship opportunities in order to maximize the benefits to the Indian emigrant youths.

Earlier, recruitment agents/agencies were mainly concentrated in large cities, which caused a significant issue with our youth falling prey to unlawful channels. In order to facilitate a large number of aspirant semi-literate youth living in rural India, a new scheme was launched in December 2017 to encourage registration of recruiting agents (RA) from small cities, towns, and distant villages. This scheme also aims to

provide business opportunities in the field of overseas employment to new entrepreneurs as well as those small entities already engaged in related activities such as travel consultancy, travel, and tourism. Any person wishing to register as a RA had to deposit a Bank Guarantee of Rs. 50 lakh as security deposit, with no limit on number of emigrant workers to be sent abroad. Under the new scheme, the Ministry opened registration for small RAs for sending 100 emigrant workers abroad by depositing BG of only Rupee 8 lakh. The new scheme also had provision to enhance the number of original permissible recruitment limit in multiple of 100 workers on submission of additional BG of Rupee 8 lakh per 100 additional workers thereby giving suitable option for future growth of the new entrepreneurs. A total of 557 new RAs have registered and benefited under the new initiative since its launch in December 2017.

Separately, the Ministry has been working with several state governments and stakeholders to disseminate information on the Indian diaspora and foreign jobs and to spread awareness about safe and illegal migration through MEA's state outreach programmes from time to time. Such outreach programmes were organized in Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Assam and West Bengal in 2021 and in Tamil Nadu and Kerala in 2022. The Ministry has also convened high-level conferences in January 2018 with all stakeholders including state government where all concerned authorities were sensitized on illegal recruitment being done by unscrupulous agents and duping our youth who aspire to go abroad for employment. They were also requested to proactively check the growth of illegal agents and to take strict actions against them including to launch awareness campaigns in vernacular medium for wider coverage and adaptation.

The Labour and Manpower Cooperation MOUs/Agreements are in place with the Gulf Cooperation Council countries (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates) and Jordan that provide the overarching framework for cooperation on labour and manpower related issues. Further, to safeguard the specific interest of domestic workers in GCC Countries, who are often the most vulnerable category; Ministry has signed separate MOUs/Agreements on domestic workers with Kuwait and Saudi Arabia.

A Labour Mobility Partnership Agreement for cooperation in manpower was signed with Denmark in September 2009. India and Japan signed in January 2021 a Memorandum of Cooperation on a basic framework for partnership for Proper Operation of the system pertaining to "Specified Skilled Workers (SSW)" which would provide skilled workers from India an opportunity to work in the Japanese industrial and service sector in 14 select sectors. The Migration and Mobility MOUs/Agreements are also in place with France and the UK signed in March 2018 and May 2021 respectively. They provide the overarching framework for cooperation on migration and mobility related issues. A Labour and Mobility Agreement was also signed in September 2021 with Portugal for recruitment of Indian workers. Letters of Intent (LOIs) for further discussion on signing migration and mobility agreements with Germany (2018), Greece (2022), Denmark (2022) and Australia (2022) are already in place, while Ministry is engaged with negotiations with other identified countries (Mauritius and Malaysia). A list of MoUs/Agreements signed is at **Annexure '1'**.

(b) As per available data in the e-Migrate portal in respect of Emigration Check Required (ECR) and Emigration Check Not Required (ECNR) countries, the State-wise Emigration Clearance data for the period January 2021 till June, 2022 are attached at **Annexure '2' & '3'**. Country-wise data for Emigration Clearance issued for ECR countries is at **Annexure-4**.

The Country-wise figures provided by the Bureau of Immigration (BOI) of Indian nationals who went abroad on visit 'Employment/Work' from 1.1.2021 to 30.6.2022 is attached at **Annexure '5'**.

(c) The Ministry is in the process of bringing in a new legislation, "Emigration Bill 2022" to enhance the scope of existing Emigration Act 1983 which will further help in promotion of safe and legal migration to our aspiring youth and to save them from being duped by illegal recruitment agents. The process to draft a new emigration bill has been initiated by MEA and takes into account recommendation of the 23rd report of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs (2018-2019) to provide for an overarching architecture for migration governance and institutional framework. After inter-Ministerial consultations, the draft was placed for public comments during May-July 2021 in Ministry's website. The final draft after due diligence was shared with other relevant Ministries, seeking their views before submitting the Draft Emigration Bill for Cabinet's approval.

Further, illegal recruitments and trafficking cases are presently being governed by specific rules and regulations as at **Annexure '6'**. Ministry receives complaints against such illegal recruitment agents from time to time through established mechanism. Such complaints are forwarded to relevant law enforcement agencies of State Governments concerned to take necessary actions as per the provision of Emigration Act.

ANNEXURE-1

List of MoUs / Agreements Signed

Sl. No.	Country>Title	Date of Signing/validity	Advantages
1	Qatar - Agreement on the Regulation of the Employment of Indian Manpower. (Labour and Manpower)	11 April 1985 20 November 2007 (Additional Protocol) 4 Years, Automatic Renewal	To facilitate safe and legal entry of Indian manpower into Qatar , safeguard the rights of the Indian workers there and to ensure sound and effective administration of the contract employment cycle.
2.	Kuwait - MoU on Labour, Employment and Manpower Development	10 April 2007 4 years, Automatic Renewal	To facilitate safe and legal entry of Indian manpower into Kuwait , safeguard the rights of the Indian workers there and to ensure sound and effective administration of the contract employment cycle.
3.	Kuwait - MoU for cooperation on the Recruitment of Domestic Workers	MoU signed on 10 June, 2021 5 Years, Automatic Renewal	To facilitate safe and legal entry of domestic Workers into Kuwait , safeguard the rights of the Indian workers there and to ensure sound and effective administration of the contract employment cycle.
4.	Bahrain - MoU on Labour and Manpower Development	17 June 2009 4 Years, Automatic Renewal	To facilitate safe and legal entry of Indian manpower into Bahrain , safeguard the rights of the Indian workers there and to ensure sound and effective administration of the contract employment cycle.
5.	Oman - MoU in the field of Manpower	08 November 2008 5 Years, Automatic Renewal	To facilitate safe and legal entry of Indian manpower into Oman , safeguard the rights of the Indian workers there and to ensure sound and effective administration of the contract employment cycle.
6.	UAE - MoU on Cooperation in the field of Manpower.	10 February 2018 4 Years, Automatic Renewal	To facilitate safe and legal entry of Indian manpower into UAE , safeguard the rights of the Indian workers there and to ensure sound and effective administration of the contract employment cycle.
7.	Saudi Arabia - Agreement on Labour Cooperation for Domestic Service Workers Recruitment.	02 January 2014 5 years, Automatic Renewal	To facilitate safe and legal entry of Indian manpower into Saudi Arabia , safeguard the rights of the Indian workers there and to ensure sound and effective administration of the

			contract employment cycle.
8.	Saudi Arabia - Agreement on Labour Co-operation for Recruitment of General Category Workers	03 April 2016 5 years, Automatic Renewal	To facilitate safe and legal entry of Indian manpower into Saudi Arabia , safeguard the rights of the Indian workers there and to ensure sound and effective administration of the contract employment cycle.
9.	Denmark - Labour Mobility Partnership Agreement	29 September 2009 5 years, Automatic Renewal	The MoU with Denmark provides mechanism for labour market expansion, employment facilitation, organized entry &orderly migration and exchange of information and cooperation in introducing best practices for mutual benefit.
10.	Jordan – MoU on Cooperation in the Field of Manpower	01 March 2018 5 years, Automatic Renewal	The MoU with Jordan facilitates collaboration in promoting best practices in the administration of contract employment for Indian workers.
11.	France - Migration and Mobility Partnership Agreement.	10 March 2018 7 years, Automatic Renewal	The agreement facilitates mobility of students, business peoples, young professionals, academics etc. It also provides for a mechanism to facilitate return of Indians under irregular situation in France.
12.	Portugal - Agreement on Recruitment of Indian Workers	Signed on 13 September, 2021 5 years, subject to renewal for successive periods	The agreement provides a mechanism through which the Portuguese employers can circulate vacancies across various sectors through e-Migrate Portal of Ministry.
13.	UK - MoU on Migration and Mobility Partnership.	Signed on 04 May, 2021 7 years, Automatic Renewal	It will provide post-study visa to Indian students and 3000 slot for Indian nationals under Young Professional Scheme for Diploma/Degree holders. It also provides for a mechanism to facilitate return of Indians under irregular situation in the UK.
14.	Japan - MoU on a basic Framework for partnership for Proper Operation of the system pertaining to “Specified Skilled Worker (SSW)”	18 January 2021 10 years, Automatic Renewal	The agreement covers provision for access to Japanese job market across 14 identified sectors -health care, construction, agriculture etc.

ANNEXURE-2

ECR data Jan' 2021 to June'2022	
MST_STATE_VALUE	EC COUNT
ANDAMAN & NICOBAR	5
ANDHRA PRADESH	14393
ARUNACHAL PRADESH	3
ASSAM	2281
BIHAR	55607
CHANDIGARH	242
CHHATTISGARH	86
DAMAN & DIU	15
DELHI	1296
GOA	583
GUJARAT	3298
HARYANA	1035
HIMACHAL PRADESH	359
JAMMU & KASHMIR	3709
JHARKHAND	3417
KARNATAKA	5009
KERALA	18815
LAKSHADWEEP	2
MADHYA PRADESH	836
MAHARASHTRA	6272
MANIPUR	13
MEGHALAYA	8
NAGALAND	5
ODISHA	7360
PUDUCHERRY	291
PUNJAB	10938
RAJASTHAN	25078
SIKKIM	2
TAMIL NADU	19539
TELANGANA	10417
TRIPURA	617
UTTAR PRADESH	102461
UTTARAKHAND	2682
WEST BENGAL	25205

ANNEXURE-3

ECNR data Jan' 2021 to June' 2022	
MST_STATE_VALUE	EC COUNT
ANDAMAN & NICOBAR	21
ANDHRA PRADESH	1169
ARUNACHAL PRADESH	30
ASSAM	64
BIHAR	716
CHANDIGARH	95
CHHATTISGARH	17
DADRA & NAGAR HAVELI	
HAVELI	12
DAMAN & DIU	9
DELHI	114
GOA	25
GUJARAT	349
HARYANA	94
HIMACHAL PRADESH	88
JAMMU & KASHMIR	32
JHARKHAND	123
KARNATAKA	200
KERALA	951
LAKSHADWEEP	3
MADHYA PRADESH	30
MAHARASHTRA	361
MANIPUR	3
MEGHALAYA	5
NAGALAND	1
ODISHA	170
PUDUCHERRY	21
PUNJAB	618
RAJASTHAN	267
TAMIL NADU	696
TELANGANA	642
TRIPURA	3
UTTAR PRADESH	767
UTTARAKHAND	100
WEST BENGAL	735

ANNEXURE-4**COUNTRY WISE EC DATA FOR THE PERIOD OF 2021 TO 30TH JUNE 2022**

COUNTRY	COUNT (January-December 2021)	COUNT (from January-June 2022)
BAHRAIN	6382	5949
IRAQ	935	348
INDONESIA	0	1
JORDAN	2386	1783
KUWAIT	10158	33631
LEBANON	54	122
MALAYSIA	36	1089
OMAN	19452	17967
QATAR	49579	13628
SAUDI ARABIA	32845	99452
SOUTH SUDAN	1	1
THAILAND	1	0
UNITED ARAB EMIRATES	10844	15235
TOTAL	132673	189206

**Country- wise and Year-wise figure of Indian Nationals who went abroad & verbally disclosed
their purpose of visit “ EMPLOYMENT/work” from
01.01.2021 to 30.06.2022**

DESTINATION COUNTRY	2021	2022	TOTAL
AFGHANISTAN	1325	86	1411
ALAND ISLANDS	4	4	8
ALBANIA	182	134	316
ALGERIA	1026	992	2018
AMERICAN SAMOA	0	1	1
ANDORRA	13	22	35
ANGOLA	1486	1077	2563
ANGUILLA	4	7	11
ANTARTICA	0	1	1
ANTIGUA AND BARABDOS	20	14	34
ARGENTINA	37	54	91
ARMENIA	121	36	157
ARUBA	25	11	36
AUSTRALIA	2382	19804	22186
AUSTRIA	314	367	681
AZERBAIJAN	163	153	316
BAHAMAS	242	310	552
BAHARIAN	38422	31190	69612
BANGLADESH	11349	8925	20274
BARBADOS	38	30	68
BELARUS	43	27	70
BELGIUM	1168	872	2040
BELIZE	9	31	40
BENIN	219	138	357
BERMUDA	94	92	186
BHUTAN	1369	194	1563
BOLIVIA	10	10	20
BOSNIA	6	4	10
BOTSWANA	397	380	777
BOUVET ISLAND	1	1	2
BRAZIL	233	196	429
BRUNEI	313	2104	2417
BULGARIA	39	41	80
BURKINA FASO	343	199	542
BURUNDI	227	98	325
CAMBODIA	108	378	486
CAMEROON	276	163	439
CANADA	24507	34976	59483
CAPE VERDE ISLANDS	3	7	10
CAYMAN ISLANDS	254	316	570
CENTRAL AFRICIAN REPUBLIC	95	46	141
CHAD	40	23	63

CHILE	50	31	81
CHINA	41	29	70
CHRISTMAS ISLANDS	0	2	2
COCOS (KEELING) ISLANDS	1	1	2
COG (CONGO)	2008	1849	3857
DESTINATION COUNTRY	2021	2022	Total
COLOMBIA	144	94	238
COMOROS	20	9	29
CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF)	568	467	1035
COOK ISLANDS	1	1	2
COSTA RICA	25	30	55
CUBA	513	102	615
CYPRUS	1142	1237	2379
CZECH	599	513	1112
DENMARK	973	844	1817
DJIBOUTI	193	196	389
DOMINICA	21	10	31
DOMINICAN REPUBLIC	13	11	24
EAST TIMOR (DEMOCRATIC REPUBLIC OF)	47	92	139
ECUADOR	46	25	71
EGYPT	845	342	1187
EL SALVADOR	2	5	7
EQUITORIAL GUINEA	107	65	172
ERITREA	61	42	103
ESTONIA	155	124	279
ETHIOPIA	1505	703	2208
FALKLAND ISLANDS (MALVINES)	4	15	19
FIJI	32	112	144
FINLAND	238	170	408
FRANCE	2096	1683	3779
FRANCE METROPOLITAN	2	0	2
FRENCH GUIANA	0	2	2
GABON	882	507	1389
GAMBIA	59	43	102
GEORGIA	45	61	106
GERMAY	12263	10583	22846
GHANA	1206	751	1957

GIBRALTAR	5	4	9
GREECE	286	376	662
GREENLAND	0	2	2
GRENADE	20	10	30
GUADELOUPE	0	1	1
GUAM	1	0	1
GUATEMALA	4	5	9
GUERNSEY	1	4	5
GUINEA	600	404	1004
GUINEA BISSAU	28	37	65
GUYANA	179	167	346
HAITI	25	55	80
HONDURAS	2	10	12
HONG KONG	1128	1171	2299
HUNGARY	711	792	1503
ICELAND	95	130	225
INDONESIA	1308	2040	3348
IRAN	526	329	855
IRAQ	4053	3020	7073
IRELAND	4204	3576	7780
ISLE OF MAN	5	13	18

DESTINATION COUNTRY	2021	2022	TOTAL
ISRAEL	3046	3532	6578
ITALY	1936	3040	4976
IVORY COST	968	627	1595
JAMAICA	155	202	357
JAPAN	564	2812	3376
JERSEY	2	8	10
JORDAN	4113	3809	7922
KAZAKHASTAN	748	1111	1859
KENYA	1884	1277	3161
KIRIBATI	6	16	22
KOREA(DPR)	21	52	73
KOREA(REPUBLIC OF)	886	754	1640
KUWAIT	28448	105213	133661
KYRGYZSTAN	158	93	251
LAOS	45	135	180
LATVIA	106	115	221
LEBANON	462	481	943
LESOTHO	41	31	72

LIBERIA	184	130	314
LIBYA	46	13	59
LIECHTENSTEIN	2	1	3
LITHUANIA	93	141	234
LUXEMBOURG	418	231	679
MACAU	29	38	67
MACEDONIA	2	1	3
MADAGASCAR	168	156	324
MALAWI	423	401	824
MALAYSIA	3386	11935	15321
MALDIVES	18282	19232	37514
MALI	557	365	922
MALTA	880	1832	2712
MARSHALL ISLANDS	4	1	5
MARTINIQUE	8	4	12
MAURITANIA	176	112	288
MAURITIUS	2615	3922	6537
MAYOTTE	1	2	3
MEXICO	899	428	1327
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	2	2	4
MOLDOVA	9	9	18
MONACO	5	3	8
MONGOLIA	158	105	263
MONTENEGRO	6	9	15
MONTSERRAT	1	1	2
MOROCCO	156	119	275
MOZAMBIQUE	1401	1000	2401
MYANMAR	403	483	886
NAMIBIA	376	295	671
NAURU	1	7	8
NEPAL	723	572	1295
NETHERLANDS	3917	3577	7494
NETHERLANDS ANTILLES	26	19	45
NEW CALEDONIA	0	22	22

DESTINATION COUNTRY	2021	2022	TOTAL
NEW ZEALAND	398	2234	2632
NICARAGUA	4	12	16
NIGER	209	131	340
NIGERIA	10180	4723	14903
NIUE ISLAND	2	0	2
NORFOLK ISLAND	4	12	16
NORTHERN MARIANA ISLANDS	1	2	3
NORWAY	477	591	1068
OMAN	80416	67002	147418

PAKISTAN	81	56	137
PALAU	1	1	2
PANAMA	17	32	49
PAPUA NEW GUINEA	181	277	458
PARAGUAY	8	7	15
PERU	8	12	20
PHILIPPINES	426	903	1329
POLAND	3354	3417	6771
PORTUGAL	462	373	835
PUERTO RICO	1	3	4
QATAR	191676	97644	289320
REPUBLIC OF CHINA TAIWAN	107	217	324
REPUBLIC OF CROATIA	582	1291	1873
REPUBLIC OF SLOVENIA	25	20	45
RESIDENT OF KOSOVO (UNMIK)	9	1	10
REUNION ISLAND	1	6	7
ROMANIA	2154	1268	3422
RUSSIAN FEDERATION	3104	2266	5370
RWANDA	477	242	719
SAINT CHRISTOPHER AND NEVIS	46	43	89
SAINT HELENA	8	6	14
SAINT LUCIA	36	33	69
SAINT PIERRE AND MIQUELON	1	4	5
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	1	5	6
SAMOA	1	0	1
SAN MARINO	5	3	8
SAO TOME AND PRINCIP	7	37	44
SAUDI ARABIA	45805	278058	323863
SENEGAL	408	302	710
SERBIA	901	1100	2001
SERBIA AND MONTENEGRO	4	2	6
SEYCHELLES	4438	3264	7702
SIERRA LEONE	424	275	699
SINGAPORE	39938	88767	128705
SLOVAK REPUBLIC	67	140	207
SOLOMON ISLANDS	12	14	26

SOMALIA	378	333	711
SOUTH AFRICA	2261	1491	3752
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	2	1	3
SOUTH SUDAN	828	425	1253
SPAIN	744	726	1470
SRI LANKA	2896	2439	5335

DESTINATION COUNTRY	2021	2022	TOTAL
SUDAN	1036	703	1739
SURINAME	18	17	35
SVALABARD AND JAN MAYEN ISLANDS	1	1	2
SWAZILAND	233	214	447
SWEDEN	1408	972	2380
SWITZERLAND	1147	882	2029
SYRIA	41	18	59
TANZANIA	1336	864	2200
TAZIKISTAN	129	108	237
THAILAND	1352	2646	3998
TOGO	148	149	297
TOKELAU	0	1	1
TONGA	0	2	2
TRINIDAD AND TOBAGO	93	85	178
TUNISIA	48	53	101
TURKEY	536	464	1000
TURKMENISTAN	4	2	6
TURKS AND CAICOS ISLAND	19	21	40
TUVALU	1	0	1
UGANDA	2618	2031	4649
UKRAINE	1192	289	1481
UNITED ARAB EMIRATES	103597	103180	206777
UNITED KINGDOM	24075	22221	46296
UNITED STATES OF AMERICA	92295	132657	224952
URAGUAY	244	232	476
UZBEKISTAN	1058	866	1924
VANUATU	11	26	37

VENEZUELA	9	5	14
VIETNAM	575	1054	1629
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	14	12	26
VIRGIN ISLANDS (US)	1	2	3
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	18	23	41
WESTERN SAHARA	0	1	1
YEMEN	18	142	160
YUGOSLAVIA	0	1	1
ZAMBIA	1778	1161	2939
ZIMBABWE	259	190	449
TOTAL	833829	1136423	1970252

- **The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (ITPA)**
- **Criminal Law (amendment) Act 2013** has come into force wherein Section 370 of the Indian Penal Code has been substituted with Section 370 and 370A IPC which provide for comprehensive measures to counter the menace of human trafficking.
- There are other specific legislations enacted relating to trafficking in women and children: Prohibition of Child Marriage Act, 2006, Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, Transplantation of Human Organs Act, 1994, apart from specific Sections in the IPC, e.g. Sections 372 and 373 deal with selling and buying of girls for the purpose of prostitution.
- State Governments have also enacted specific legislations to deal with the issue. (e.g. The Punjab Prevention of Human Smuggling Act, 2012)
- Chapter VII article 24, 25, 26 27 and 28 of Emigration Act 1983 deals with punishment and offences for violation of this Act.
- **Advisories:** To improve the effectiveness in tackling the crime of human trafficking and to increase the responsiveness of the law enforcement machinery, MHA has issued following comprehensive advisories to all States/UTs:
 - Advisory for preventing crime of human trafficking, September 2009.
 - Advisory on crime against children, July 2010.
 - Advisory on missing children, January, 2012.
 - Advisory on Preventing and Combating cyber crime against children, 2012.
 - Advisory on Human Trafficking as Organized Crime, 2012.
 - Advisory on Preventing and combating human trafficking in India-dealing with foreign nationals May 2012.
 - SOP to handle trafficking of children for child labour, August 2013.
 - Advisory on MHA Web Portal on Anti Human Trafficking, May 2014.
 - Advisory for associating SSB and BSF in crime meetings, July 2015.
 - MHA Advisory on Preventing and Combating Human Trafficking during time of COVID-19, July 2020.

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 49

दिनांक 21.07.2022 को उत्तर देने के लिए

भारतीयों को विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंट

49. श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार विदेश में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं को धोखाधड़ी या षडयंत्र का शिकार होने से बचाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) जिन राज्यों के युवा अधिकतम संख्या में नौकरी के लिए विदेश जाते हैं उनका देश-वार और राज्य-वार व्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार देश में कार्यरत ऐसे फर्जी एजेंटों/एजेंसियों के खिलाफ कोई कानून बनाने का विचार रखती है जो युवाओं को गुमराह करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ. सुब्रह्मण्यम् जयशंकर)

(क) से (ग) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"भारतीयों को विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंट" के संबंध में दिनांक 21.07.2022 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *49 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) मंत्रालय प्रवासी युवाओं को अवैध चैनलों के खतरों के संबंध में शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। 2015 में ई-माइग्रेट प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात, तथा इच्छुक प्रवासी युवाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि ईसीआर प्रवासी विशेष रूप से वैध चैनलों, जैसे ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से ही विदेश में रोजगार की तलाश करें।

इसे देखते हुए, इस मंत्रालय ने जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित एवं वैध प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए 2018 में 'सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं' (गो सेफ, गो ट्रेन्ड) अभियान भी आरंभ किया है। मार्च 2017 में इसकी शुरूआत से, इस आदर्श वाक्य को जागरूकता सृजन कार्यशालाओं और संभावित प्रवासियों को प्रदान किए जाने वाले प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास और प्रशिक्षण (पीडीओटी) के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण, पीडीओटी का ऑनलाइन मॉड्यूल अप्रैल 2021 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को वर्तमान में देश भर में फैले 32 केंद्रों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि भली-भांति सूचित प्रवासी युवा निर्बाध रूप से एकीकृत हो सकें और विदेश में सुरक्षित और सकारात्मक प्रवास कर सकें।

रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों की उत्प्रवास संबंधी प्रक्रिया के विनियमन और उनकी भलाई और कल्याण सुनिश्चित करने में विदेश मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। 'ब्लू कॉलर' श्रेणी में आने वाले कई अर्ध-कुशल और कम कुशलता-प्राप्त उत्प्रवासी युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए आगे की कार्रवाई से पहले सुरक्षा उपाय के रूप में देश भर के 13 उत्प्रवासी संरक्षक कार्यालयों से उत्प्रवास अनापत्ति (ईसी) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मंत्रालय ने पीओई कार्यालय की संरचना का विस्तार करने के लिए, 2019 में पटना, बैंगलुरु और गुवाहाटी में पीओई कार्यालयों की स्थापना का अनुमोदन किया जो पूरी तरह कार्यशील हैं। रांची, त्रिपुरा, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में नए पीओई कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने वैध प्रवास को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण हेतु भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) व्यय दिशानिर्देशों आदि में संशोधन जैसी कई पहल की हैं। पीबीबीवाई को 2017 में आरंभ किया गया था ताकि 275 रुपए (दो वर्ष के लिए) और 375 रुपए (3 वर्ष के लिए) के मामूली बीमा प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपए का बीमा कवर तथा अन्य लाभ प्रदान किए जा सकें।

मंत्रालय कौशल निर्माण और विदेशी अवसरों के आंकलन तथा वैध प्रवासों को बढ़ावा देने के लिए भारत में अन्य मंत्रालयों तथा साथ ही मेजबान देशों की सरकारों के साथ ई-माइग्रेट पोर्टल के संरेखन जैसे

कई कार्य-कलापों पर भी विचार कर रहा है ताकि भारतीय उत्प्रवासी युवाओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की सतत रोजगार पारिस्थितिकी प्रणाली तथा उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

पहले, भर्ती एजेंट/एजेंसियां मुख्य रूप से बड़े शहरों में केंद्रित थीं, जो हमारे युवाओं के अवैध चैनलों का शिकार होने का मुख्य कारण था। ग्रामीण भारत में रहने वाले अनेक इच्छुक अर्ध-साक्षर युवाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, दिसंबर 2017 में एक नई योजना शुरू की गई थी ताकि छोटे शहरों, कस्बों और दूरस्थ गांवों से भर्ती एजेंटों (आरए) के पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। यह योजना नए उद्यमियों के साथ-साथ यात्रा परामर्शदायिता, यात्रा और पर्यटन जैसे संबंधित कार्यकलापों में पहले से लगे हुए छोटे निकायों को विदेशी रोजगार के क्षेत्र में व्यापार अवसर प्रदान करेगी। आरए के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा जमा के रूप में 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होती थी, जिसमें विदेश भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की कोई संख्या निर्धारित नहीं थी। नई योजना के तहत मंत्रालय ने केवल 8 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करके 100 प्रवासी कामगारों को विदेश भेजने के लिए छोटे भर्ती एजेंटों का पंजीकरण शुरू किया। नई योजना में प्रति 100 अतिरिक्त श्रमिकों के लिए 8 लाख रुपये की अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा करने पर 100 श्रमिकों के गुणकों में मूल अनुमेय भर्ती की संख्या की सीमा बढ़ाने का भी प्रावधान था, जिससे नए उद्यमियों को उनके भावी विकास के लिए उपयुक्त विकल्प दिया जा सके। दिसंबर 2017 में इसकी शुरुआत के बाद से नई पहल के तहत कुल 557 नए भर्ती एजेंट पंजीकृत एवं लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर विदेश मंत्रालय के राज्य आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों और विदेशी नौकरियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और सुरक्षित और अवैध प्रवास के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ काम कर रहा है। इस तरह के आउटरीच कार्यक्रम 2021 में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में और 2022 में तमिलनाडु और केरल में आयोजित किए गए थे। मंत्रालय ने जनवरी 2018 में राज्य सरकार सहित सभी हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन भी आयोजित किए हैं, जिनमें सभी संबंधित प्राधिकारियों को बेर्इमान एजेंटों द्वारा की जा रही अवैध भर्ती और उनके द्वारा रोजगार के लिए विदेश जाने इच्छुक हमारे युवाओं के साथ धोखाधड़ी से संबंधित मामलों से अवगत कराया गया। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अवैध एजेंटों की संख्या में हो रही बढ़ोतारी की सक्रिय रूप से जांच और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिसमें व्यापक कवरेज और अनुकूलन के लिए स्थानीय भाषा में जागरूकता अभियान शुरू करना शामिल है।

खाड़ी सहयोग परिषद के देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) और जॉर्डन के साथ श्रम एवं जनशक्ति सहयोग समझौता ज्ञापन/करार किए गए हैं जो श्रम एवं जनशक्ति से संबंधित मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने, जीसीसी देशों में घरेलू कामगारों के विशिष्ट हितों की रक्षा करने के लिए कुवैत और सऊदी अरब के साथ

घरेलू कामगारों, जो अक्सर सबसे कमजोर वर्ग होते हैं; से संबंधित अलग-अलग समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सितंबर 2009 में डेनमार्क के साथ जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग के लिए श्रमिक आवाजाही सहभागिता करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत तथा जापान ने जनवरी 2021 में "विशिष्ट कुशल कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू)" से संबंधित प्रणाली के उपयुक्त प्रचालन के लिए सहभागिता हेतु मूल अवसंरचना सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें भारत के कुशल कर्मचारियों को जापान के औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के 14 चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फ्रांस और यूके के साथ भी प्रवासन एवं आवाजाही समझौता ज्ञापन / करार हुए हैं जिन पर क्रमशः मार्च 2018 और मई 2021 में हस्ताक्षर किए गए। ये प्रवासन एवं आवाजाही संबंधी मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक अवसंरचना प्रदान करते हैं। भारतीय कामगारों की भर्ती के लिए पुर्तगाल के साथ सितंबर 2021 में एक श्रम एवं आवाजाही करार पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। जर्मनी (2018), ग्रीस (2022), डेनमार्क (2022) और ऑस्ट्रेलिया (2022) के साथ प्रवासन एवं आवाजाही करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए विचार-विमर्श हेतु आशय पत्र (एलओआई) पहले से ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जबकि मंत्रालय अन्य अभिज्ञात देशों (मॉरीशस और मलेशिया) के साथ वार्ता कर रहा है। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों/करारों की सूची अनुबंध '1' में दी गई है।

(ख) ई-माइग्रेट पोर्टल में उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) और उत्प्रवासन जांच अपेक्षित नहीं (ईसीएनआर) वाले देशों के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2021 से जून, 2022 के दौरान राज्य-वार उत्प्रवासन अनापत्ति के आंकड़े अनुबंध '2' और '3' पर संलग्न हैं। ईसीआर देशों के लिए जारी उत्प्रवासन अनापत्ति के देश-वार आंकड़े अनुबंध-4 पर हैं।

अप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) द्वारा 1.1.2021 से 30.06.2022 तक 'रोजगार/कार्य' के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में उपलब्ध कराए गए देश-वार आंकड़े अनुबंध '5' में संलग्न हैं।

(ग) मंत्रालय, मौजूदा उत्प्रवासन अधिनियम 1983 के दायरे को बढ़ाने के लिए एक नया कानून, "उत्प्रवासन विधेयक 2022" लाने की प्रक्रिया में है, जो हमारे इच्छुक युवाओं के सुरक्षित और वैध प्रवास को बढ़ावा देने और उन्हें अवैध भर्ती एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी से बचाने में मदद करेगा। विदेश मंत्रालय द्वारा एक नए उत्प्रवासन विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके लिए प्रवासन शासन एवं संस्थागत रूपरेखा के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के संबंध में विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति (2018-2019) की 23 वीं रिपोर्ट की सिफारिश को ध्यान में रखा गया है। अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद इसका मसौदा मई-जुलाई 2021 तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत था। उत्प्रवासन विधेयक का अंतिम मसौदा मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पहले विधिवत विचार विमर्श के बाद अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ साझा किया गया था, ताकि उनके विचार प्राप्त किए जा सकें।

इसके अलावा इस समय अवैध भर्ती और तस्करी के मामले विशिष्ट नियमों और विनियमों द्वारा अभिशासित किए जा रहे हैं, जिनका विवरण अनुबंध '6' में दिया गया है। मंत्रालय को स्थापित तंत्र के माध्यम से समय-समय पर ऐसे अवैध भर्ती एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं। उत्प्रवासन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ऐसी शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अग्रेषित किया जाता है।

समझौता ज्ञापनों/करारों की सूची

क्र सं	देश/शीर्षक	हस्ताक्षर करने/ वैधता की तारीख	लाभ
1	कतर - भारतीय जनशक्ति के रोजगार के नियमन पर करार। (श्रम और जनशक्ति)	11 अप्रैल 1985 20 नवंबर 2007 (अतिरिक्त प्रोटोकॉल) 4 साल, स्वतः नवीकरण	कतर में भारतीय जनशक्ति के सुरक्षित और कानूनी प्रवेश को सुविधाजनक बनाना, वहाँ भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय करना और संविदा रोजगार चक्र का सुदृढ़ और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
2.	कुवैत - श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास पर समझौता ज्ञापन	10 अप्रैल 2007 4 साल, स्वतः नवीकरण	कुवैत में भारतीय जनशक्ति के सुरक्षित और कानूनी प्रवेश को सुविधाजनक बनाना, वहाँ भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय करना और संविदा रोजगार चक्र का सुदृढ़ और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
3.	कुवैत - घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	10 जून, 2021 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 5 साल, स्वतः नवीकरण	कुवैत में भारतीय जनशक्ति के सुरक्षित और कानूनी प्रवेश को सुविधाजनक बनाना, वहाँ भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय करना और संविदा रोजगार चक्र का सुदृढ़ और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
4.	बहरीन - श्रम और जनशक्ति विकास पर समझौता ज्ञापन	17 जून 2009 4 साल, स्वतः नवीकरण	बहरीन में भारतीय जनशक्ति के सुरक्षित और कानूनी प्रवेश को सुविधाजनक बनाना, वहाँ भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय करना और संविदा रोजगार चक्र का सुदृढ़ और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
5.	ओमान - जनशक्ति के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	08 नवंबर 2008 5 साल, स्वतः नवीकरण	ओमान में भारतीय जनशक्ति के सुरक्षित और कानूनी प्रवेश को सुविधाजनक बनाना, वहाँ भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय करना और संविदा रोजगार चक्र का सुदृढ़ और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
6.	संयुक्त अरब अमीरात - जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।	10 फरवरी 2018 4 साल, स्वतः नवीकरण	संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय जनशक्ति के सुरक्षित और कानूनी प्रवेश को सुविधाजनक बनाना, वहाँ भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के

			लिए सुरक्षा उपाय करना और संविदा रोजगार चक्र का सुदृढ़ और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
7.	सऊदी अरब - घरेलू सेवा कामगारों की भर्ती के लिए श्रम सहयोग पर करार।	02 जनवरी 2014 5 साल, स्वतः: नवीकरण	सऊदी अरब में भारतीय जनशक्ति के सुरक्षित और कानूनी प्रवेश को सुविधाजनक बनाना, वहां भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय करना और संविदा रोजगार चक्र का सुदृढ़ और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
8.	सऊदी अरब - सामान्य श्रेणी के श्रमिकों की भर्ती के लिए श्रम सहयोग पर करार	03 अप्रैल 2016 5 साल, स्वतः: नवीकरण	सऊदी अरब में भारतीय जनशक्ति के सुरक्षित और कानूनी प्रवेश को सुविधाजनक बनाना, वहां भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय करना और संविदा रोजगार चक्र का सुदृढ़ और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना।
9.	डेनमार्क – श्रमिक आवाजाही भागीदारी करार	29 सितंबर 2009 5 साल, स्वतः: नवीकरण	डेनमार्क के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में श्रम बाजार के विस्तार, रोजगार सुविधा, संगठित प्रवेश और व्यवस्थित प्रवास तथा परस्पर लाभ के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को शुरू करने में सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं यहयोग शामिल है।
10.	जॉर्डन - जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	01 मार्च 2018 5 साल, स्वतः: नवीकरण	जॉर्डन के साथ किया गया समझौता ज्ञापन भारतीय कामगारों के लिए अनुबंध रोजगार के प्रशासन में सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रोत्साहित करने में सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।
11.	फ्रांस - प्रवासन और आवाजाही भागीदारी करार।	10 मार्च 2018 7 साल, स्वतः: नवीकरण	यह करार छात्रों, व्यवसायियों, युवा पेशेवरों, शिक्षाविदों आदि की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। इसमें फ्रांस में अस्थिरता की स्थिति में भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र की भी व्यवस्था है।
12.	पुर्तगाल - भारतीय कामगारों की भर्ती पर करार	13 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षरित 5 साल, आगे की अवधि के लिए नवीकरण के अध्यधीन	इस करार में ऐसे तंत्र की व्यवस्था है जिसके माध्यम से पुर्तगाली नियोक्ता मंत्रालय के ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रिक्तियों को परिचालित कर सकते हैं।

13.	<p>यूके - प्रवासन और आवाजाही भागीदारी पर समझौता ज्ञापन।</p>	<p>04 मई, 2021 को हस्ताक्षरित 7 साल, स्वतः नवीकरण</p>	<p>यह समझौता ज्ञापन डिप्लोमा/डिग्री धारकों के लिए युवा पेशेवर योजना के तहत भारतीय छात्रों को अध्ययन के बाद वीजा और भारतीय नागरिकों को 3000 स्लॉट प्रदान करेगा। इसमें यूके में अस्थिरता की स्थिति में भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र की भी व्यवस्था है।</p>
14.	<p>जापान - "निर्दिष्ट कुशल कामगार (एसएसडब्ल्यू)" से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए साझेदारी हेतु एक बुनियादी ढांचे पर समझौता ज्ञापन</p>	<p>18 जनवरी 2021 10 साल, स्वतः नवीकरण</p>	<p>इस करार में 14 अभिज्ञात क्षेत्रों-स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, कृषि आदि में जापानी रोजगार बाजार तक पहुंच के लिए प्रावधान शामिल है।</p>

जनवरी 2021 से जून 2022 तक का ईसीआर डेटा	
एमएसटी_स्टेट_वैल्यू	ई सी काउंट
अंडमान और निकोबार	5
आंध्र प्रदेश	14393
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	2281
बिहार	55607
चंडीगढ़	242
छत्तीसगढ़	86
दमन और दीव	15
दिल्ली	1296
गोवा	583
गुजरात	3298
हरियाणा	1035
हिमाचल प्रदेश	359
जम्मू और कश्मीर	3709
झारखण्ड	3417
कर्नाटक	5009
केरल	18815
लक्षद्वीप	2
मध्य प्रदेश	836
महाराष्ट्र	6272
मणिपुर	13
मेघालय	8
नागालैंड	5
उड़ीसा	7360
पुडुचेरी	291
पंजाब	10938
राजस्थान	25078
सिक्किम	2
तमिलनाडु	19539

तेलंगाना	10417
त्रिपुरा	617
उत्तर प्रदेश	102461
उत्तराखण्ड	2682
पश्चिम बंगाल	25205

जनवरी 2021 से जून 2022 तक का ईसीएनआर डेटा	
एमएसटी_स्टेट_वैल्यू	ई सी काउंट
अंडमान और निकोबार	21
आंध्र प्रदेश	1169
अरुणाचल प्रदेश	30
असम	64
बिहार	716
चंडीगढ़	95
छत्तीसगढ़	17
दादरा और नगर हवेली	12
दमन और दीव	9
दिल्ली	114
गोवा	25
गुजरात	349
हरियाणा	94
हिमाचल प्रदेश	88
जम्मू और कश्मीर	32
झारखण्ड	123
कर्नाटक	200
केरल	951
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	30
महाराष्ट्र	361
मणिपुर	3
मेघालय	5
नागालैंड	1
उडीसा	170
पुडुचेरी	21
पंजाब	618
राजस्थान	267
तमिलनाडु	696

तेलंगाना	642
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	767
उत्तराखण्ड	100
पश्चिम बंगाल	735

2021 से 30 जून 2022 की अवधि के लिए देश-वार ईसी डेटा

देश	संख्या (जनवरी-दिसंबर 2021)	संख्या (जनवरी-जून 2022 तक)
बहरीन	6382	5949
इराक	935	348
इंडोनेशिया	0	1
जॉर्डन	2386	1783
कुवैत	10158	33631
लेबनान	54	122
मलेशिया	36	1089
ओमान	19452	17967
कतर	49579	13628
सऊदी अरब	32845	99452
दक्षिण सूडान	1	1
थाईलैंड	1	0
संयुक्त अरब अमीरात	10844	15235
कुल	132673	189206

दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2022 तक "रोजगार/कार्य" के लिए विदेश जाने वाले और मौखिक रूप से अपनी यात्रा के उद्देश्य का प्रकटन करने वाले भारतीय नागरिकों के देश-वार और वर्ष-वार आंकड़े

गंतव्य देश	2021	2022	कुल
अफगानिस्तान	1325	86	1411
एलैंड द्वीप समूह	4	4	8
अल्बानिया	182	134	316
अल्जीरिया	1026	992	2018
अमेरिकी समोआ	0	1	1
एंडोरा	13	22	35
अंगोला	1486	1077	2563
एंगिला	4	7	11
अंटार्कटिका	0	1	1
एंटीगुआ और बाराबडोस	20	14	34
अर्जेटीना	37	54	91
आर्मेनिया	121	36	157
अरुबा	25	11	36
ऑस्ट्रेलिया	2382	19804	22186
ऑस्ट्रिया	314	367	681
अज़रबैजान	163	153	316
बहामास	242	310	552
बहरीन	38422	31190	69612
बांग्लादेश	11349	8925	20274
बारबाडोस	38	30	68
बेलारूस	43	27	70
बेल्जियम	1168	872	2040
बेलीज़	9	31	40
बेनिन	219	138	357
बरमूडा	94	92	186
भूटान	1369	194	1563

बोलीविया	10	10	20
बोज्जिया	6	4	10
बोत्सवाना	397	380	777
बुवेट आईलैंड	1	1	2
ब्राजील	233	196	429
बुनेइ	313	2104	2417
बुलारिया	39	41	80
बुर्किना फासो	343	199	542
बुरुंडी	227	98	325
कंबोडिया	108	378	486
कैमरून	276	163	439
कनाडा	24507	34976	59483
केप वर्डे द्वीप	3	7	10
केमन द्वीपसमूह	254	316	570
मध्य अफ्रीकी गणराज्य	95	46	141
चाड	40	23	63
चिली	50	31	81
चीन	41	29	70
क्रिसमस द्वीप	0	2	2
कोकोस (कीलिंग) द्वीप	1	1	2
सीओजी (कांगो)	2008	1849	3857

गंतव्य देश	2021	2022	कुल
कोलंबिया	144	94	238
कोमोरोस	20	9	29
कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)	568	467	1035
कुक द्वीपसमूह	1	1	2
कोस्टा रिका	25	30	55
क्यूबा	513	102	615
साइप्रस	1142	1237	2379
चेक	599	513	1112
डेनमार्क	973	844	1817

जिबूती	193	196	389
डोमिनिका	21	10	31
डोमिनिकन गणराज्य	13	11	24
ईस्ट तिमोर (लोकतांत्रिक गणराज्य)	47	92	139
इंग्लॉरेन्स	46	25	71
मिस्र	845	342	1187
एल साल्वाडोर	2	5	7
इंडोनेशिया	107	65	172
इरिट्रिया	61	42	103
एस्तोनिया	155	124	279
इथियोपिया	1505	703	2208
फ़ॉकलैंड द्वीप (माल्विन)	4	15	19
फ़िजी	32	112	144
फिनलैंड	238	170	408
फ्रांस	2096	1683	3779
फ्रांस मेट्रोपॉलिटन	2	0	2
फ्रेंच गुयाना	0	2	2
गैबॉन	882	507	1389
गाम्बिया	59	43	102
जॉर्जिया	45	61	106
जर्मनी	12263	10583	22846
घाना	1206	751	1957
जिभ्राल्टर	5	4	9
यूनान	286	376	662
ग्रीनलैंड	0	2	2
ग्रेनेडा	20	10	30
गुआडेलूप	0	1	1
गुआम	1	0	1
ग्वाटेमाला	4	5	9
ग्वेर्नसे	1	4	5
गिनी	600	404	1004
गिनी बिसाऊ	28	37	65

गुयाना	179	167	346
हैती	25	55	80
होंडुरस	2	10	12
हांगकांग	1128	1171	2299
हंगरी	711	792	1503
आइसलैंड	95	130	225
इंडोनेशिया	1308	2040	3348
ईरान	526	329	855
ईराक	4053	3020	7073
आयरलैंड	4204	3576	7780
आइल ऑफ मैन	5	13	18

गंतव्य देश	2021	2022	कुल
इजराइल	3046	3532	6578
इटली	1936	3040	4976
आईबरी कोस्ट	968	627	1595
जमैका	155	202	357
जापान	564	2812	3376
जर्सी	2	8	10
जॉर्डन	4113	3809	7922
कजाखस्तान	748	1111	1859
केन्या	1884	1277	3161
किरिबाती	6	16	22
कोरिया (डीपीआर)	21	52	73
कोरिया (गणराज्य)	886	754	1640
कुवैत	28448	105213	133661
किर्गिज़स्तान	158	93	251
लाओस	45	135	180
लातविया	106	115	221
लेबनान	462	481	943
लिसोटो	41	31	72
लाइबेरिया	184	130	314

लीबिया	46	13	59
लिख्टेंश्टाइन	2	1	3
लिथुआनिया	93	141	234
लक्जम्बर्ग	418	231	679
मकाउ	29	38	67
मैसेडोनिया	2	1	3
मेडागास्कर	168	156	324
मलावी	423	401	824
मलेशिया	3386	11935	15321
मालदीव	18282	19232	37514
माली	557	365	922
माल्टा	880	1832	2712
मार्शल द्वीप समूह	4	1	5
मार्टीनिक	8	4	12
मॉरिटेनिया	176	112	288
मॉरीशस	2615	3922	6537
मेयोडे	1	2	3
मेक्सिको	899	428	1327
माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य)	2	2	4
मोल्डोवा	9	9	18
मोनाको	5	3	8
मंगोलिया	158	105	263
मोंटेनेग्रो	6	9	15
मॉटेसेराट	1	1	2
मोरक्को	156	119	275
मोज़ाम्बिक	1401	1000	2401
म्यांमार	403	483	886
नामिबिया	376	295	671
नॉर्झ	1	7	8
नेपाल	723	572	1295
नीदरलैंड	3917	3577	7494
नीदरलैंड्स एंटाइल्स	26	19	45

न्यू केलडोनिया	0	22	22
----------------	---	----	----

गंतव्य देश	2021	2022	कुल
न्यूजीलैंड	398	2234	2632
निकारागुआ	4	12	16
नाइजर	209	131	340
नाइजीरिया	10180	4723	14903
न्यू द्वीप	2	0	2
नॉरफ़ॉक द्वीप	4	12	16
उत्तरी मरीयाना द्वीप समूह	1	2	3
नॉर्वे	477	591	1068
ओमान	80416	67002	147418
पाकिस्तान	81	56	137
पलाउ	1	1	2
पनामा	17	32	49
पापुआ न्यू गिनी	181	277	458
पराग्वे	8	7	15
पेरू	8	12	20
फिलिपींस	426	903	1329
पोलैंड	3354	3417	6771
पुर्तगाल	462	373	835
पोर्टो रिको	1	3	4
कतर	191676	97644	289320
चीन ताइवान गणराज्य	107	217	324
क्रोएशिया गणराज्य	582	1291	1873
स्लोवेनिया गणराज्य	25	20	45
रेजिडेंट ऑफ कोसोवो (यूएनएमआईके)	9	1	10
रीयूनियन आइलैंड	1	6	7
रोमानिया	2154	1268	3422
रूसी संघ	3104	2266	5370
रवांडा	477	242	719
सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस	46	43	89

सेंट हेलेना	8	6	14
सेंट लूसिया	36	33	69
सेंट पियरे एंड मिकेलॉन	1	4	5
संत विंसेंट एंड द ग्रेनेडीएंस	1	5	6
समोआ	1	0	1
सैन मैरीनो	5	3	8
साओ टोम और प्रिंसिप	7	37	44
सउदी अरब	45805	278058	323863
सेनेगल	408	302	710
सर्बिया	901	1100	2001
सर्बिया और मोंटेनेग्रो	4	2	6
सेशल्स	4438	3264	7702
सियरा लिओन	424	275	699
सिंगापुर	39938	88767	128705
स्लोवाक गणराज्य	67	140	207
सोलोमन आइलैंड	12	14	26
सोमालिया	378	333	711
दक्षिण अफ्रीका	2261	1491	3752
साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सेंडविच आइलैंड्स	2	1	3
दक्षिणी सूडान	828	425	1253
स्पेन	744	726	1470
श्री लंका	2896	2439	5335

गंतव्य देश	2021	2022	कुल
सूडान	1036	703	1739
सूरीनाम	18	17	35
स्वालबार्ड एंड जान मायेन आइलैंड	1	1	2
स्वाजिलैंड	233	214	447
स्वीडन	1408	972	2380
स्विट्जरलैंड	1147	882	2029
सीरिया	41	18	59
तंजानिया	1336	864	2200

ताजिकिस्तान	129	108	237
थाईलैंड	1352	2646	3998
टोगो	148	149	297
टोकेलाऊ	0	1	1
टोंगा	0	2	2
त्रिनिदाद और टोबैगो	93	85	178
टचूनीशिया	48	53	101
तुर्की	536	464	1000
तुर्कमेनिस्तान	4	2	6
तुर्क और कैकोस द्वीप	19	21	40
तुवालू	1	0	1
युगांडा	2618	2031	4649
यूक्रेन	1192	289	1481
संयुक्त अरब अमीरात	103597	103180	206777
यूनाइटेड किंगडम	24075	22221	46296
संयुक्त राज्य अमेरिका	92295	132657	224952
उरुग्वे	244	232	476
उज़बेकिस्तान	1058	866	1924
वानुअतु	11	26	37
वेनेजुएला	9	5	14
वियतनाम	575	1054	1629
वर्जिन आइलैंड्स (ब्रिटिश)	14	12	26
वर्जिन आइलैंड्स (अमेरिका)	1	2	3
वालिस एंड फ्यूचूना आइलैंड	18	23	41
पश्चिमी सहारा	0	1	1
यमन	18	142	160
यूगोस्लाविया	0	1	1
जाम्बिया	1778	1161	2939
जिम्बाब्वे	259	190	449
कुल	833829	1136423	1970252

- अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए)
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 लागू किया गया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को आईपीसी धारा 370 और 370 के साथ प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशेष कानून बनाए गए हैं: आईपीसी में विशेष धाराओं जैसे वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों की खरीद फरोख्त से संबंधित धारा 372 और 373 के अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
- राज्य सरकारों ने भी इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेष कानून बनाए हैं। (उदाहरण के लिए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012)
- उत्प्रवास अधिनियम 1983 का अध्याय VII अनुच्छेद 24, 25, 26 27 और 28 इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड और अपराधों से संबंधित है।
- **परामर्शी:** गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी के अपराध से निपटने की प्रभावशीलता में सुधार करने और कानून प्रवर्तन तंत्र की जवाबदेही बढ़ाने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित व्यापक परामर्शी जारी की है:
 - मानव तस्करी के अपराध को रोकने के लिए परामर्शी, सितंबर 2009
 - बच्चों के खिलाफ अपराध पर परामर्शी, जुलाई 2010
 - गुमशुदा बच्चों पर परामर्शी, जनवरी, 2012
 - बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने संबंधी परामर्शी, 2012
 - संगठित अपराध के रूप में मानव तस्करी के लिए परामर्शी, 2012
 - भारत में मानव तस्करी की रोकथाम और उसका मुकाबला करने - विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार संबंधी परामर्शी मई 2012
 - बाल श्रम के लिए बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए एसओपी, अगस्त 2013
 - गृह मंत्रालय वेब पोर्टल पर मानव तस्करी रोधी परामर्शी, मई 2014
 - अपराध संबंधी बैठकों में एसएसबी और बीएसएफ को शामिल करने के लिए परामर्शी, जुलाई 2015
 - कोविड-19 के दौरान मानव तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय परामर्शी, जुलाई 2020

श्री उपसभापति : माननीय राकेश सिन्हा जी, आप अपना सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

श्री राकेश सिन्हा : उपसभापति महोदय, जो ऐसे एजेंट और एजेंसियाँ काम कर रही हैं ..(व्यवधान).. क्या सरकार उनको ब्लैकलिस्ट करके अखबारों में इनका इश्तहार देगी? ..(व्यवधान).. क्योंकि जिनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, ..(व्यवधान).. उनकी सूचना आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है और दूसरे लोग फिर से उनके चंगुल में फंसते हैं।..(व्यवधान)..महोदय, इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात भी है। ..(व्यवधान).. क्या सरकार राज्यों में अपनी एजेंसियों की शाखा या इकाई खोलेगी? जो विद्यार्थी, नौजवान और व्यक्ति बाहर जाने के इच्छुक हैं, उन्हें इन एजेंसियों के द्वारा बाहर भेजा जाए।..(व्यवधान)..यदि सरकार ऐसी व्यवस्था करती है, ..(व्यवधान)..तो शायद हम इन फेक एजेंटों और एजेंसियों से अपने नौजवानों को और विद्यार्थियों को बचा पाएंगे। ..(व्यवधान)..उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. JAISHANKAR: Sir, through you, I would like to inform the hon. Member that we are taking a number of steps to ensure that recruiting agents do not misuse their powers. We have instituted very strict measures where we discover it. We have also liberalised the entire RA scheme so that there are more locally-based recruiting agents which will lead to more responsible behaviour as well. Wherever we do find that there are recruiting scams or any illegal activities, we will crack down on them. But I would also like to assure the Member that we are planning to bring a new Emigration Bill which will take into account a lot of digital tracking that we have been able to do in the last few years. So, that will ensure that there is less breaching of the law in regard to emigration and recruitment. ...*(Interruptions)*...

डा. अशोक बाजपेयी : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या विदेशों में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आई है?...*(व्यवधान)*... अगर आई है तो उसका कारण क्या है? ...*(व्यवधान)*... क्या सरकार कोई ऐसा प्रयास करेगी कि भारतीय युवाओं को विदेशों में मिलने वाले अवसरों में आई कमी को दूर किया जा सके? ...*(व्यवधान)*...

SHRI S. JAISHANKAR: Through you, Sir, I would like assure the hon. Member that we are negotiating a number of agreements with foreign countries which will make it easier for our young people, especially our students to find more work opportunities. Particularly after our Prime Minister, Shri Narendra Modi has come to power, a number of migration and mobility agreements have been signed. ...*(Interruptions)*... Most recent one was a Letter of Intent that we have done with Germany. We have done with Australia. We have signed new agreements with Portugal, with the UK and France. We have an updated agreement with Denmark. So, in the developed world, there are many more

opportunities for our young people. With regard to the countries of the Gulf, we have again strengthened our protection to workers for opportunities. Even during the COVID, through political contacts, we ensured that the layoffs have been minimized and the return to work has been possible. ...*(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 51. Shrimati Priyanka Chaturvedi.